ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2013 / 2133 जयपुर, दिनांक : 03.06.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2013 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम ।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23 / 2012–ईआरएस(वो.–III) दिनांक 17 मई, 2013 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्रांक 1870 दिनांक 21.5.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक समसंख्यक पत्रांक 1870 दिनांक 21 मई, 2013 के द्वारा विधानसभा आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को साफ–सुथरी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से अर्हता दिनांक 1.1.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का पुनः एक बार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने के विषय में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 3 जुलाई, 2013 को तथा अन्तिम प्रकाशन दिनांक 26 अगस्त, 2013 को किया जाएगा। इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में पारदर्शिता के लिए गत् संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 23 / 2012–ईआरएस(वाल्यूम–III) दिनांक 27.8.2012, दिनांक 20.9.2012, दिनांक 6.10.2012 एवं 6.11.2012 तथा पत्र क्रमांक 23 / 2013–ईआरएस / वो.III दिनांक 11.4.2013 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना की जानी है। इन निर्देशों की प्रतियॉ पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न की जा रही है।

2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची, 2013 से प्रारूप प्रकाशन

2.1 इस विषय में जैसा कि आपको विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 1.1.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण माह अक्टूबर–नवम्बर 2012 में किया गया था तथा मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 21 जनवरी, 2013 को किया गया है। मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान विभाग द्वारा

समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाने, मतदाता सूची में सॉफटवेयर के माध्यम से चिन्हित की गयी त्रुटियों को ठीक करवाने, सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित की गयी दोहरी प्रविष्टियों के सत्यापन के बाद इसे एक स्थान से मतदाता का नाम प्ररूप 7 में आक्षेप प्राप्त कर विलोपित करने, मतदाता सूची में पंजीकृत शत–प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने एवं ऐसे मतदाता जिनके कि मतदाता सूची में फोटो मुद्रित नहीं है का मतदाता सूची में फोटो मुद्रित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विशेष प्रयास किये गये है। इन प्रयासों के फलस्वरूप निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में लगभग 4.50लाख नये मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है तथा नए पंजीकृत मतदाताओं को एवं पूर्व से पंजीकृत मतदाता जिनको अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किए गए है के फोटो एकत्रित कर यथा स्थिति मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करवाये जाएगें। दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मूल मतदाता सूची के साथ पूरक सूची–1 भी संलग्न है तथा निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान भी परिर्वधन, संशोधन एवं विलोपन की पूरक सूची–2 भी तैयार की जा रही है। आयोग द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 03 जुलाई, 2013 को जो प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी, वह दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मूल मतदाता सूची, पूरक सूची–1 एवं निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान तैयार की गये पूरक सूची–2 के एकीकरण कर तैयार की जावेगी तथा तद्नुसार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निर्धारित दिनांक को किया जायेगा।

2.2 अतः समस्त समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निरन्तर अद्यतन के दौरान जोड़े गये मतदाताओं/हटाये गये मतदाताओं की सूचियॉ एवं सभी प्रकार के संशोधन की सूचियॉ तथा ईपिक तैयार करने/मतदाता सूची में फोटोज् समाहित करने हेतु एकत्रित किये गये फोटोज् को संबंधित अनुबंधित फर्म को दिनांक 31.5.2013 तक प्रेषित करने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में ही निर्देश जारी किये जा चुके है।

3. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य

3.1 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येंक वर्ष 01 जनवरी को आधार मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। अर्हता दिनांक 1.1.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण गत् वर्ष माह अक्टूबर–नवम्बर, 2012 में किया गया था तथा मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 21 जनवरी, 2013 को किया गया है। चूँकि निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नये मतदाताओं का पंजीकरण अधिक संख्या में किया गया है, इसके साथ–साथ सॉफ्टवेयार के माध्यम से चिन्हित की गयी त्रुटियों के अनुसार मतदाता सूचियों को शुद्ध किया जा रहा है, के फलस्वरूप निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान तैयार पूरक सूची काफी बड़ी हो जायेगी इसलिए विधानसभा आम चुनाव से पूर्व विधानसभा मतदाता सूची साफ–सुथरी एवं त्रुटिरहित बनाने की दृष्टि से अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण इस वर्ष पुनः किया जा रहा है जिससे मूल मतदाता सूची में पूरक सूचियों का एकीकरण कर इसे साफ–सुथरी एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

3.2 इस कार्य में मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्न कार्यवाही की जानी है –

i) जिन व्यक्तियों की आयु दिनांक 1 जनवरी, 2013 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य हैं तथा ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्होंने इसी वर्ष आयोजित पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया है उनके नाम मतदाता सूची में सम्मलित किए जाए। चूँकि अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक ही वर्ष में पुनः किया जा रहा है इसलिए इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान यह ध्यान में रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 01 जनवरी, 2013 को 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है तथा जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़े है, से ही प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाए।

ii) पूर्व में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनको अभी तक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गये है या मतदाता सूची की प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते है तो वह प्रारूप 8 में आवेदन कर सकेंगे।

iii) मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति जो कि प्रथम बार नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर रहे है या पूर्व में पंजीकृत मतदाता जो कि मतदाता सूची में अपनी गलत मुद्रित फोटो को ठीक करवाना चाहते है या ऐसे मतदाता जिनको फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है तथा मतदाता सूची में प्रविष्टी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु संबंधित प्रपत्र में फोटो के साथ आवेदन कर सकेगें, जिससे शुद्वि के साथ–साथ उनका मतदाता सूची में फोटो भी मुद्रित हो सकें।

4. विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम

आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न चरणों में सम्पन्न होने वाले कार्यों का विवरण प्रासंगिक पत्र क्रमांक 1870 दिनांक 21 मई, 2013 से सूचित किया गया है, फिर भी सुलभ संदर्भ हेतु कार्यक्रम की जानकारी एक बार पुनः दी जा रही है, जो निम्न प्रकार है :–

1.	एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची को तैयार करवाना	02 जुलाई, 2013 (मंगलवार) तक
2.	मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन	03 जुलाई, 2013 (बुधवार) से
3.	दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि	03 जुलाई, 2013 (बुधवार) से 18 जुलाई, 2013 (बुधवार) तक
4.	राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओ के साथ विशेष अभियान की तिथियों में दावें एवं आपत्तियॅा प्राप्त करना	07 जुलाई, 2013 (रविवार) एवं 14 जुलाई, 2013 (रविवार)
5.	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	30 जुलाई, 2013 (मंगलवार) तक
6.	पूरक (Supplements) की तैयारी एवं मुद्रण	22 अगस्त, 2013 (गुरूवार) तक
7.	मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन	26 अगस्त, 2013 (सोमवार)

5. मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन

5.1 इस संक्षिप्त पुनरीक्षण का आधार फोटोयुक्त एकीकृत मतदाता सूची–2013 होगी जो कि प्रारूप मतदाता सूची–2013 कहलाएगी। प्रारूप मतदाता सूची–2013 की तैयारी का कार्य पैरा 2.2 के अनुसार अनुबंधित फर्मो द्वारा किया जा रहा हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी

इस विषय में यह सुनिश्चित करलें कि उक्त कार्य प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्धारित तिथि 03 जुलाई, 2013 से पूर्व अनुबंधित फर्मो से करवा लिया जाए।

5.2 प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची के प्रारूप को अपने कार्यालय एवं इसके पृथक–पृथक भाग की प्रति निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में वर्णित प्ररूप 5 में सूचना की प्रति के सहित प्रत्येक मतदान केन्द्र एवं यथा सम्भव स्थानीय निकाय पर जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएगें। प्ररूप 5 में प्रकाशित सूचना का प्रचार–प्रसार भी किया जावेगा। **सभी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रारूप प्रकाशन की सूचना दिनांक 03 जुलाई, 2013 को समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त कर उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जरिये ईमेल/फैक्स/दूरभाष पर प्रेषित करेंगे।**

6. <u>प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रदायगी</u>

6.1 प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रति निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगी :–

(क)	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची	1–1 प्रति एवं 1–1 सीडी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को देने हेतु
(ख)	संबंधित शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु	1 प्रति
(ग)	पदाभिहित अधिकारियों को मतदान केन्द्र पर प्रकाशन हेतु	1 प्रति पदाभिहित अधिकारी हेतु
(घ)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय हेतु	1 प्रति
(ड.)	सील्ड लिफाफें में जिला निर्वाचन कार्यालय में	1 प्रति
(च)	बूथ लेवल अधिकारी	1 प्रति

नोट : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11 के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद इनकी एक हार्डकापी एवं एक साफ्टकापी सीडी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। राजनैतिक दलों को मतदाता सूचियों का सम्पूर्ण सेट जिनमें सेवानियोजित मतदाताओं की सूचियॉ भी सम्मिलित है, उपलब्ध कराई जावें। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र क्रमांक 23/बीएलए/2008/ईआरएस दिनांक 19 नवम्बर, 2008 से निर्देश जारी कर यह व्यवस्था की है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा विधिवत नियुक्ति किए गए बूथ स्तरीय

अभिकर्ताओं को संबंधित भाग की मतदाता सूची अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि किन्ही भागों के लिए राजनैतिक दलो द्वारा बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है तो संबंधित भागों की मतदाता सूचियॉ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवायी जाएगी।

7. अधिकृत अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

7.1 पुनरीक्षण कार्य के लिए अधिकृत अधिकारियों/पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

7.2 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने के विषय में विभाग के पत्र क्रमांक प.8(9)(6)निर्वा/2007/350 दिनांक 12.2.2008 एवं क्रमांक 1164 दिनांक 12.4.2013 के साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक 509/65/2003/जेएस–I दिनांक 28.1.2008 एवं 23/2007/ईआरएस दिनांक 28.1.2008 को ध्यान में रख कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए शिक्षक उक्त कार्य अवकाश के दिनों में या अध्यापन समय के अलावा समय में करेंगे। इसका उल्लेख उनके नियुक्ति पत्र में कर दिया जावें। फार्म सं. 6, 7, 8 एवं 8क उपलब्ध कराने एवं प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण समय को ध्यान में रखते हुए अध्यापन समय के उपरान्त एक घण्टा इस कार्य के लिए नियत कर दिया जावें। इसका प्रचार–प्रसार कराया जावे एवं राजनैतिक दलों को इस बारे में पहिले से ही अवगत करा दिया जावें। जब उक्त शिक्षक अध्यापन कार्य में व्यस्त रहे तो मतदाता सूची आम नागरिकों के अवलोनार्थ संस्था प्रधान के कक्ष में रखी जाए।

7.3 विभाग के पत्र क्रमांक प.3(2)(1)रोल/निर्वा/2006/2930 दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के द्वारा राज्य के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं। वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान स्टाफ अनुपलब्धता की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारियो को भी अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है ऐसी स्थिति में पैरा 7.1 के अनुसार विधिवत नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। अधिकृत अधिकारी पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने/हटवाने/स्थानान्तरित करने/संशोधनों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।

7.4 अधिकृत अधिकारी के कार्य पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु समुचित संख्या में पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाए। पर्यवेक्षकों के रूप में यथा सम्भव भू अभिलेख निरीक्षक या इनके समकक्ष अधिकारी को लगाया जाए। पर्यवेक्षकगण सम्पूर्ण पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान भ्रमण कर कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

7.5 अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बीएलओं को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसकी दावें एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु निर्धारित अवधि में मतदान केन्द्र पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि मतदान केन्द्र का भवन शाला या कोई अन्य संस्था है तथा बीएलओं उस संस्था/शाला में कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में अधिकृत अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उसी शाला/संस्था के कर्मचारियों को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाए।

8. अभियान की विशेष तारीख

8.1 भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु **विशेष अभियान की तारीखें यथा 7 जुलाई, 2013 (रविवार) एवं 14 जुलाई, 2013 (रविवार) निश्चित की हैं। उक्त तिथियों को अधिकृत अधिकारी प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह कर दावें एवं आक्षेप प्राप्त करेंगे। इन दिनों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा प्रत्येक भाग के लिए नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ता भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।**

8.2 उक्त तारीखों के अतिरिक्त दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि दिनांक 3 जुलाई, 2013 से 18 जुलाई, 2013 तक कार्य दिवसों में भी दावें एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र अधिकृत अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे।

9. प्रशिक्षण

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 1.1.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि एवं बीएलओ/अधिकृत अधिकारियों का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय पर प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश

दिए हैं। प्रत्येक स्तर के प्रशिक्षण का मोड्यूल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया हैं। इसके अनुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी संभागीय आयुक्तगणों का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया हैं। इस विषय में प्रत्येक स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विभाग के पत्र क्रमांक 2014 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया गया है। विभाग के उक्त निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

10. अधिकृत अधिकारियों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री

प्रारूप प्रकाशन से पूर्व अधिकृत अधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज/सामग्री प्रदान की जाएः

1.	प्रारूप प्रकाशन हेतु	फोटोयुक्त एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची – 2013
2.	प्ररूप – 6	मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन
3.	प्ररूप – 7	मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित किए जाने के विरूद्ध हटाये जाने के लिए आवेदन
4.	प्ररूप – 8	मतदाता सूचियों में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन
5.	प्ररूप – 8क	मतदाता सूचियों में प्रविष्टि को विधान सभा क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरित करने के लिये आवेदन
6.	प्ररूप – 9	प्राप्त दावों की सूची
7.	प्ररूप – 10	नामों के सम्मिलित किये जाने बाबत आक्षेपों की सूची
8.	प्ररूप – 11	विशिष्टियों के बाबत आक्षेपों की सूची
9.	प्ररूप – 11क	मतदाता सूचियों में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिये प्राप्त दावों की सूची
10.	प्ररूप आई.डी./एस.आर. 2013–01क	प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्ररूप (समरी रिपोर्ट–1)

11 मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र–6 में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र की जॉच

11.1 भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है कि नए पंजीकृत होने वाले मतदाताओं एवं पूर्व में अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम अथवा मतदाता सूचियों के निरन्तर अघतन की कार्यवाही के दौरान प्रपत्र–6 में आवेदन किया जाता है तो इसे प्राप्त करने वाले प्राधिकारी यथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी (बीएलओ) इसकी सरसरी जॉच करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रपत्र–6 के सभी कालम्स की पूर्ति की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र स्थान से स्थानान्तरित होकर आया है तो उसमें आवेदन पत्र में पूर्व निवास स्थान का पूर्ण पता एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र के नम्बर के कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से

करावें। **ऐसे आवेदकों से यदि प्रपत्र–6 में पूर्व निवास की सूचना, यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र पूर्व में जारी हुआ हो तो उसका नम्बर, नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाए।** आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी इसकी पूर्ति आवेदको से करा लेवें यदि पूर्व में पहचान पत्र जारी हुआ है तो उसकी फोटोप्रति भी सलंग्न करा लेवे। उक्त सूचना जहॉ अभी हाल ही में पात्र हुए व्यक्तियों के नाम पजीकृत करने में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उपयोगी है वहीं दूसरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थानान्तरित होकर आए मतदाताओं के नाम पंजीकृत करने के साथ–साथ पूर्व की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटाये जाने में उपयोगी होगी।

11.2 इस विषय में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुनरीक्षण कार्यक्रम (अथवा मतदाता सूचियों के निरन्तर अघतन की कार्यवाही) के दौरान प्राप्त होने वाले इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेकर आवेदक का मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करेंगे तथा पूर्व के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता का नाम हटाने हेतु राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एवं राज्य के बाहर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के क्रम में संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूची भेजेंगे जिससे उनके द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाया जा सके।

12. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने/संशोधन करवाने हेतु किए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु स्वेच्छा से फोटो प्रस्तुत करने के विषय में

12.1 भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में मतदाताओं के शत–प्रतिशत फोटो मुद्रित हो, के उद्देश्य से पुनरीक्षण कार्यक्रम/निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में पंजीकृत होने वाले मतदाताओं के लिए यह स्वैच्छिक व्यवस्था की है कि वह प्रपत्र–6 के साथ अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत कर सकते है जिससे उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ने के साथ–साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जा सके।

12.2 आयोग के निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम (निरन्तर अद्यतन) के दौरान स्वेच्छा से निम्न प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत कर सकता है, यदि वह :–

(i) प्रपत्र–6 में प्रथमबार नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर रहा है।

(ii) प्रपत्र–8 में मतदाता सूची के मुद्रित फोटो को सही करवाने हेतु आवेदन कर रहा है या जिसका फोटो मतदाता सूची में मुद्रित नहीं है।

(iii) प्रपत्र–8क में मतदाता सूची के प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन कर रहा है तथा उसे अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं हुआ हैं।

12.3 उपरोक्त पैरा में वर्णित किसी भी स्थिति में आवेदक को 3.5 सेमी X 3.5 सेमी साईज की एक रंगीन फोटोग्राफ प्रपत्र में यथा स्थान चस्पा करना होगा। प्रपत्र 6, 8, 8क के सभी कालम्स की पूर्ति आवेदक को करनी होगी। फोटोग्राफ बिना हस्ताक्षर करे प्रेषित करने होंगे। आवेदक उपरोक्त प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से पदाभिहित अधिकारी/बी.एल. ओ./निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

12.4 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जॉच की जाकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने हेतु उक्त फार्म संबंधित अनुबंधित फर्म को उपलब्ध कराये जाऐंगे। संबंधित फर्म से मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं प्ररूप–6 प्राप्त होने पर विधिवत मतदाता फोटो पहचान पत्र व्यक्तिगत् रूप से संबंधित मतदाता को दिया जाएगा।

13. बल्क/बंच के रूप में दावे और आपत्ति के आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में निर्देश

13.1 सामान्यतः मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित कराने का दावा प्रारूप 6 संबंधित दावेदार द्वारा व्यक्तिगत् रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। यद्यपि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित दावा प्रपत्रों को परिवार के किसी भी एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसी प्रकार आक्षेपों के संबंध में भी आवेदन पत्र आक्षेपकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दाखिल किये जायेंगे। उक्त व्यवस्था संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अधिकृत अधिकारी एवं बूथ लेवल ऑफिसर के लिए लागू रहेगी।

13.2 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्थान पर किसी भी संस्था द्वारा बल्क एवं बंच के रूप में दावें एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

13.3 **बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण** – भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23/बीएलए/2008/ईआरएस दिनांक 3 अगस्त, 2012 एवं 18 सितम्बर, 2012 में दिए गए निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं को अधिकृत किया गया है कि वह अधिकतम 10 फार्म अधिकृत अधिकारी को इस आशय की धोषणा के साथ जमा करवा सकते है कि प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टियों का उनके द्वारा सत्यापन कर लिया गया है **तथा वह सही हैं। कृपया विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के दौरान इस विषय में अवगत कराया जाए तथा इसकी सूचना राजनैतिक दलों को भी दी जाए।**

14. विधानसभा/लोकसभा सदस्य या क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के मतदाता सूची में नामों का सत्यापन

महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा विधानसभा/संसद सदस्य आदि जहॉ निवास करते है तथा उनके नाम पूर्व से मतदाता सूची में पंजीकृत है तो ऐसे नाम प्रारूप मतदाता सूची में होने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के नाम मतदाता सूची में यथावत रहने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिये हैण्डबुक, 2008 के अध्याय चतुर्थ के पैरा 13.5 में निर्धारित प्रपत्र में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे।

15. प्रारूप मतदाता सूचियों की जॉच

मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को प्रारूप प्रकाशन हेतु फोटोयुक्त एकीकृत मतदाता सूची, 2013 उपलब्ध करवायी जाएगी। फोटोयुक्त एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची, 2013 अर्हता दिनांक 1.1.2013 के संदर्भ में दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मूल मतदाता सूची के साथ परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की संलग्न पूरक सूची प्रथम एवं इसके बाद निरन्तर अद्यतन के दौरान दिनांक 21 जनवरी, 2013 के पश्चात् स्वीकृत आवेदन पत्रों के क्रम में तैयार पूरक सूची द्वितीय को एकीकृत कर तैयार की गई हैं। इस प्रारूप मतदाता सूची में निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान नए पंजीकृत मतदाता जिनके द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु आवेदन पत्र में फोटो भी चस्पा कर प्रस्तुत किए थे, को संबंधित अनुबंधित फर्म द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाकर उपलब्ध करवा दिए हैं या इसके अतिरिक्त भी पहचान पत्र कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए नए मतदाता फोटो पहचान के अनुसार संबंधित मतदाताओं के फोटो प्रारूप मतदाता सूची में मुद्रित किए गए है, जॉच के दौरान इसे भी सुनिश्चित कर लिया जाए। यह भी सुनिश्चित

कर लें कि पूरक सूचियों का मूल मतदाता सूची में एकीकरण सही प्रकार से हुआ है, यथा परिवर्धन सूचियों के नाम संबंधित अनुभाग में यथा स्थान अंकित हो गये हैं, विलोपन एवं संशोधन सूचियों के अनुसार नाम विलोपित एवं संशोधित हो गए है या नही ? फिर भी यह संभव है कि एकीकरण के समय या पूर्व से ही मतदाता में एक ही परिवार या एक ही भवन में रहने वाले मतदाताओं के नाम एक स्थान पर न हो। वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार की विसंगतियों को चिन्हित किया जाए तथा निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाएः–

15.1 यदि किसी मतदाता का नाम उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सही स्थान पर नहीं आया है तो उसे सुसंगत क्रम संख्या निम्नानुसार दी जाए। यथा – कोई मतदाता प्रारूप मतदाता सूचियों–2013 में क्रम संख्या 413 पर है और उसी परिवार के अन्य सदस्य का नाम क्रम सं. 205 से क्रम सं. 210 क्रमांक पर मुद्रित है, तो क्रम संख्या 413 के निर्वाचक को सही स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने हेतु क्रम संख्या 413 पर वृत बनाकर निर्वाचक की प्रविष्टि के आगे ई–210/1 अंकित कर दिया जाए। इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि इस मतदाता का नाम क्रम सं. 210 के मतदाता के नीचे स्थानान्तरित करना हैं। जिससे आगामी एकीकरण के दौरान निर्वाचक का नाम क्रम संख्या 210 के नीचे अर्थात् सं. 211 पर स्थानान्तरित हो जाए।

15.2 एक मकान में रहने वाले मतदाताओं के नाम एक साथ नहीं आये है तो उन्हें सही स्थान पर लाने के लिए बिन्दु संख्या 15.1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुसंगत क्रम संख्या दी जाए ।

15.3 यदि कोई मतदाता सही परिक्षेत्र में नहीं है तो उसे सही परिक्षेत्र में रखे जाने हेतु बिन्दु संख्या 15.1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुसंगत क्रम संख्या दी जाए।

16. <u>प्रारूप मतदाता सूची में सॉफटवेयर के माध्यम से चिन्हित की गई त्रुटियों का सत्यापन व ठीक करना</u>

दिनांक 21 जनवरी, 2013 को मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान कम्प्यूट्रीकृत डेटा बेस के आधार पर त्रुटियॉ चिन्हित कर सभी जिलों को विधानसभा क्षेत्रवार सीडी उपलब्ध करवाई गई थी। इसके आधार पर त्रुटियों का सत्यापन कर यथा स्थिति प्रारूप मतदाता सूची में उक्त त्रुटियों को ठीक करवाया जाए। इसके पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग के सोफ्टवेयर द्वारा दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र

होना, मतदाता सूची में फोटो होते हुए भी मतदाता पहचान पत्र का नम्बर नहीं होना, मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्धारित डीजिट से कम डीजिट का अंकित होना, मतदाता का गलत संबंध अंकित होना आदि की विधानसभा क्षेत्रवार पीडीएफ फाईल में यथाशीघ्र विस्तृत दिशा–निर्देशों के साथ उपलब्ध करवायी जा रही है। इसके सत्यापन का कार्य पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में कराकर उक्त शुद्धियॉ संशोधन की पूरक सूची के माध्यम से करवायी जाएगी।

17 <u>बूथ स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्ति</u>

भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र क्रमांक 23/बीएलए/ 2008/ईआरएस दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को निर्देश जारी कर मतदान केन्द्र स्तर पर बूथ लेवल अधिकारियों की भॉति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग के पत्रांक प.3(2)(1) रोल/निर्वा/2008/7929 दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 को जारी किए गये हैं तथा विभाग के पत्र क्रमांक 1901 दिनांक 3.7.2012 से पुनः प्रेषित किये गये हैं। कृपया उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्तमान में आयोजित होने वाली पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

18. <u>कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार</u>

पुनरीक्षण के कार्यक्रम की जानकारी दिये जाने के लिए जिला स्तर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण स्तर पर गठित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एव जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निम्न जानकारी आवश्यक रूप से दी जाएः–

18.1 जिसमें मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लिखित में दी जाये एवं कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जावे।

18.2 बल्क/बंच के साथ आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु आयोग के निर्देशो एवं मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बीएलए द्वारा अनु. 13.3 में वर्णित विवरण के अनुसार एक साथ 10 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, की जानकारी दी जाए।

18.3 बैठक में आयोग के पत्र दिनांक 27 अगस्त, 2012 एवं दिनांक 06 नवम्बर, 2012 (प्रति संलग्न) में निर्देश दिए गए है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिन–प्रतिदिन प्राप्त होने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

द्वारा कम्प्यूट्रीकरण किया जाकर इनकी सूचियॉ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर अपलोड करायी जाएगी जिससे किसी आवेदन पत्र के क्रम में किसी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा उम्मीद्वार द्वारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आक्षेप प्रस्तुत किया जा सके।

18.4 बैठक में यह भी बताया जाए कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुए विभिन्न आवेदन पत्रों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेबसाइट, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। जिस मतदाता का नाम प्ररूप 7 में प्राप्त आवेदन के आधार पर मतदाता सूची से विलोपित किया जाना है (मृत्यु संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) को विधिवत नोटिस दिया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त सूची की एक–एक प्रति व्यक्तिगत रूप से राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को बैठक में रसीद प्राप्त कर उपलब्ध करवाऐंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी इस विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार करे तथा लिखित रूप से भी राजनैतिक दलों को सूचित करें।

18.5 पुनरीक्षण कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जाना है। अतः स्वयंसेवी संस्थाओं की पृथक से बैठक आमंत्रित की जाकर पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं प्रक्रिया की जानकारी के साथ–साथ वार्ड सभाओं में भी उन्हें उपस्थित रह कर कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की जाए।

18.6 विभाग के पत्र क्रमांक 874 दिनांक 18 मार्च, 2013 एवं पत्र क्रमांक 1913 दिनांक 23 मई, 2013 के द्वारा स्वीप की प्रथम कार्ययोजना के अन्तर्गत मतदाता सूची से संबंधित प्रचार–प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

19. पर्यवेक्षण

19.1 पुनरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में भ्रमण कर विशेष अभियान की तारीखों के दिनों में कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे ताकि पुनरीक्षण कार्य एवं फोटोयुक्त मतदाता सूची की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा भी पुनरीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्तगण जो कि रोल पर्यवेक्षक भी तीन बार यथा दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने

की अवधि एवं पूरक सूचियों के मुद्रण हेतु निर्धारित अवधि में भ्रमण कर कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

19.2 भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए निम्नानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये है, जिसके अनुसारः :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी – 1/2 प्रतिशत
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी – 5 प्रतिशत
3. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी – 12 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान अभियान की विशेष तिथियॉ 7 जुलाई, 2013 एवं 14 जुलाई, 2013 को प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए जिससे इन तिथियों को किसी भी समस्या का निराकरण इन अधिकारियों द्वारा मौके पर ही किया जा सकें।

संभागीय आयुक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक के समय एवं जिलों में भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त प्रकार से पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा हैं।

19 प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण

संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान प्राप्त दावें एवं आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 16 से 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। इस विषय में आयोग के नवीनतम निर्देश उनके पत्र दिनांक 27.8.2012, 20.9.2012 एवं 6.11.2012 के द्वारा दिये गये है। इनकी प्रतियॉ पूर्व में आपको प्रेषित कर दी गई थी। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रति प्रेषित की जा रही है।

20.1 भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 27 अगस्त, 2012 के द्वारा यह निर्देश दिए है कि पारदर्शिता लाने की दृष्टि से पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिन–प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र 6, 7, 8 एवं 8क का कम्प्यूट्रीकरण किया जाए तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसकी सूचना प्रतिदिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर आम नागरिकों की जानकारी हेतु उपलब्ध करवायी जाए। इस प्रकार की कार्यवाही गत् पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान भी की गई है।

20.2 पैरा 20.1 में प्रस्तुत विवरण के अनुसार दावें एवं आपत्तियों के क्रम में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपल्बध करवायी

जानी हैं। जिससे इसे कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल के प्रतिनिधि इसे देखकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति दर्ज करवा सके। इस विषय में विभिन्न स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर इसकी जानकारी उन्हे दी जाए तथा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी लिखित में सूचना भी दी जाए।

20.3 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावें एवं आपत्तियों की सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से देकर रसीद प्राप्त करेंगे।

20.4 दावे एवं आपत्तियो के प्रार्थना पत्रों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, पर प्रकाशित करने, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं मतदान केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने एवं ऐसे मतदाता (मृत्त मतदाताओं को छोड़कर) जिनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जा रहा है, को विधिवत नोटिस देने के 7 दिन बाद किया जाए।

20.5 वर्तमान मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम विलोपित करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23/2013–ईआरएस/वोल्यूम–iii दिनांक 11.4.2013 के द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये है जिसकी प्रति पूर्व में आपको प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रति प्रेषित की जा रही है। मतदाता की मृत्यु, स्थानांतरण, लापता, अयोग्यता एवं दोहरी प्रविष्टि के कारण एक स्थान से नाम विलोपन के संबंध में कार्यवाही आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही की जावें। मृत्यु के मामले में नजदीकी रिश्तेदार/मित्र/पडौसियों द्वारा प्रस्तुत फार्म सं. 7 पर या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर या पडौसियों के बयान लेकर ही विलोपन की कार्यवाही की जानी है। अन्य प्रकरणों में विधिवत नोटिस देकर ही विलोपन की कार्यवाही की जावे।

21. <u>आवेदन पत्रों की विस्तृत जॉच</u>

21.1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विलोपन के प्रकरण (मतदाता की मृत्यु के अलावा) जिसके क्रम में फार्म 7 में आक्षेप प्राप्त हुए है, में सभी आवेदन पत्रों की जॉच तहसीलदार या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी इसके बाद ही इन प्रार्थना पत्रों पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

21.2 परिवर्धन एवं विलोपन के निम्न श्रेणी में आने वाले समस्त प्रकरणों का प्रति सत्यापन (Cross Verification) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या समकक्ष अधिकारी द्वारा किया जायेगाः–

21.2.1 जिन मतदातन केन्द्रों में मतदाताओं की कुल संख्या का 2 प्रतिशत से अधिक विलोपन है।

21.2.2 जहॉ एक ही आक्षेपकर्ता द्वारा पॉच से अधिक केसेज में आक्षेप प्रस्तुत किये गये है।

21.2.3 जहॉ परिवर्धन 4 प्रतिशत से अधिक है।

21.3 मृत्यु के प्रकरणों के अतिरिक्त विलोपन से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए है कि जॉच उच्च स्तर से की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी या इनके समकक्ष अधिकारी इस प्रकार के 2 प्रतिशत प्रकरणों का सत्यापन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी 1 प्रतिशत प्रकरणों का एवं रोल पर्यवेक्षक 0.5 प्रतिशत प्रकरणों का प्रमाणीकरण करेंगे।

22. <u>पूरक सूचियों की तैयारी एवं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन</u>

22.1 दिनांक 3 जुलाई, 2013 को प्रकाशित की जाने वाली प्रारूप मतदाता सूची के साथ पूरक सूचियॉ नहीं होगी। वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम जुडवाने, विलोपन करवाने एवं संशोधन हेतु प्राप्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के आधार पर क्रमशः परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन की पूरक सूचियॉ संबंधित अनुबंधित फार्म्स द्वारा तैयार की जाएगी। अतः संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों के निस्तारण के तुरन्त बाद हस्तलिखित/टंकित सूचियॉ कम्प्यूट्रीकरण करने हेतु अनुबंधित फर्मो को उपलब्ध करवाऐंगे साथ ही प्रारूप 6/प्ररूप 8 भी मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने हेतु संबंधित फर्मो को उपलब्ध करवाऐंगे।

22.2 चूॅकि अर्हता दिनांक 1.1.2013 के संदर्भ में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का प्रयोग आगामी विधानसभा चुनाव, 2013 के दौरान किया जाएगा। इसलिए अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का मुद्रण/कम्प्यूटरीकरण आयोग के पत्र दिनांक 22.2.2008 – पीएलएन–ा दिनांक 8 अगस्त, 2008 (प्रति संलग्न) में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित साफ्टवेयर के माध्यम से अनुबंधित फर्मो द्वारा किया जाएगा। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के मुद्रण की विशेषताऐं आगामी पैरा के अनुसार होगी।

22.3 फोटो युक्त एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची, 2013 जो की मूल मतदाता सूची (मदर रोल) है, का भी मुद्रण पुनः किया जाएगा तथा इसके साथ परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन की पूरक सूचियॉ संलग्न की जाकर यह अंतिम मतदाता सूची, 2013 कहलाएगी।

22.4 अंतिम प्रकाशन के लिए मूल मतदाता सूची का मुद्रण प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार ही होगा किन्तु इसमें निम्न परिवर्तन दर्शाए जाऐंगे :–

22.4.1 विलोपन की पूरक सूची के अनुसार मूल मतदाता सूची में संबंधित मतदाता की प्रविष्टि पर कम्प्यूटर के माध्यम से "DELETED" शब्द सुपर इम्पोज किया जाएगा तथा विलोपन की पूरक सूची में मतदाता की प्रविष्टि से पूर्व **यथास्थिति विलोपन के कारण E (Expired); S (Shifted); Q (disqualifed); R (Repeat) या M (Missing) शब्द अंकित किए जाऐंगे।**

22.4.2 संशोधन का पूरक सूची के अनुसार मूल मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि के क्रमांक के आगे # का निशान अंकित किया जाएगा।

22.4.3 इसी प्रकार से जिन मतदाताओं के फोटो सही मुद्रित किये गये है अथवा नये जोड़े गये हैं, या बदला गया है को मूल मतदाता सूची में मुद्रित नहीं किया जाउगा। यह संशोधन केवल संशोधन की पूरक सूची में रहेंगे तथा मूल मतदाता सूची में ''Photo as in Correction list'' अंकित किया जाएगा। यदि मूल मतदाता सूची में फोटो गलत है तथा सही फोटो उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आयोग के निर्देश दिनांक 5.9.2008 (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही की जानी है। इसके अनुसार मतदाता सूची में फोटो पर "Photo Deleted" शब्द सुपर इम्पोज किया जायेगा तथा संशोधन के पूरक में मतदाता की प्रविष्टि में फोटो के स्थान पर भी "Photo Deleted" शब्द अंकित होगा। तथा मूल मतदाता सूची में संबंधित नाम के पूर्व # का चिन्ह मुद्रित कराया जायेगा।

22.5 अन्तिम प्रकाशन के पश्चात पूरक सूचियों का एक सेट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/परिषद/निगम को स्थायी तौर पर दिया जाए। इसमें सभी नियोजित मतदाताओं की सूची भी दी जायेगी, ताकि आम मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् पुनः देख सके और यदि कोई आपत्ति और सुझाव देना हो तो वे आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकें।

23. मतदाता सूचियों के दिनांक 3 जुलाई, 2013 को प्रारूप प्रकाशन से पूर्व प्रपत्र 1–8 में सांख्यकीय सूचना तैयार कर दिनांक 28 जून, 2013 तक विभाग को प्रेषित की जानी हैं। इसी प्रकार से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन हेतु निर्धारित दिनांक 26 अगस्त, 2013 से पूर्व मतदाताओं के सांख्यकीय ऑकड़ों से संबंधित सूचना प्रपत्र 1–8 में दिनांक 20 अगस्त, 2013 तक विभाग को प्रस्तुत की जानी है जिससे अन्तिम प्रकाशन हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

24. कन्ट्रोल रूम :

दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 3 जुलाई, 2013 से 18 जुलाई, 2013 तक जिला स्तर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा। जिसमें पुनरीक्षण संबंधित समस्त सामग्री निर्देश रखे जायेगें। कन्ट्रोल रूम में ऐसे कर्मचारियों को पदस्थापित किया जाये जिन्हें पुनरीक्षण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो। कन्ट्रोल रूम में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाए जिसमें इस अवधि में प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं समस्याओं को दर्ज किया जावे और उनके निराकरण के लिए प्रतिदिन सक्षम अधिकारियो को रजिस्टर का अवलोकन कराया जाए। शिकायत रजिस्टर संधारित करने हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे है। कन्ट्रोल रूम के टेलिफोन नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियांविति निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए। आयोग के निर्देशों को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा पुनरीक्षण कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लायें।

कृपया पत्र की प्राप्ति से अवगत करायें।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3(3)(1)रोल/निर्वा/2013/ जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. समस्त संभागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

By e-mail/speed post/camp bag

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.22/2/2008-PLN-II Dated 8th August, 2008.

To

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव,
निर्वाचन विभाग, राजस्थान
डायरी क्रमांक 2679
दिनांक 14/8

Subject:- Integration, carrying out corrections, printing and sharing of photo-rolls with political parties and contesting candidates.

Sir,

As per the Commission's existing policy, all the supplements to the mother roll should be integrated and consolidated every year before draft publication so that there is no supplement at the time of draft publication. Thereafter, only one supplement is appended to the draft roll at the time of final publication to list out Additions, Deletions and Corrections allowed after draft publication of roll and before final publication of roll. (Another supplement of continuous updation, wherever necessary, is appended for conduct of poll). A bare minimum of copies of draft electoral roll are printed and the basic roll (draft roll) is again reprinted at the time of final publication in order to mark all the deletions through computer-generated horizontal strike-through (in case of text rolls) of the deleted entry(ies). In case of photo-rolls, the word "D E L E T E D" is superimposed diagonally (again computer-generated) on the elector detail box concerned. Similarly, all corrections appearing in the supplement are carried out in the reprinted basic roll (draft roll) at the time of final publication. A hash sign (#) is also prefixed before the serial number of the entry corrected and 'E' 'S' 'R' 'Q' or 'M' letter is prefixed to each deletion to denote the reasons of deletions.

The electoral roll in most of the States/UTs is now being printed in the revised format with photograph of electors (Photo-Rolls). Multiple copies of the photo electoral roll can only be laser printed or made through digital photocopier as quality copies cannot be made by photocopying with normal photocopier machines. The printing of these new

photo-rolls has thus become time consuming and expensive. In an election year, it would not be possible to supply one complete set of reprinted electoral roll to the candidates of recognised political parties within 3 days of withdrawal.

Keeping the above practical difficulties in case of photo electoral rolls in mind, the Commission has reviewed its existing instructions for photo electoral rolls and has decided the following:

On Integration of Roll and Its Supplements before Draft Publication:

1. It would not be necessary to integrate all the supplements of an existing photo-electoral roll before publication as draft electoral roll each year, unless specified by the ECI in its revision order. In non-election years, the basic roll from previous years along with all its supplements from previous years should be published together, without integration, as the draft roll, unless there is a specific direction of the Commission in which case the direction of the Commission shall be scrupulously followed.
2. However, in an election year when general election to the State Assembly or the Parliament is due, the existing photo-electoral roll with all its supplements shall first be integrated into one roll and then published as the draft roll.

On Reprinting and Marking of Amendments Arising Out of Supplements in Mother Roll (Draft Roll):

3. Similarly, in a non-election year, the final roll will be in the form of the mother (published as draft) roll with an additional supplement of additions, deletions and corrections – without any of the changes indicated in the mother roll. The political parties shall be asked, in writing while supplying copies of final roll, to make necessary markings to indicate the deletions and corrections, if any, in the additional supplements.
4. As against this, in an election year, at the time of final publication, the basic mother (integrated draft) roll shall be reprinted. The reprinted mother roll shall remain the same as was published except in the following three manners –
   (i) the word "D E L E T E D" shall be superimposed diagonally (computer-generated) on the elector detail box concerned to indicate that the entry has been deleted in the Supplement. (In the Supplement, the alphabets, 'E' 'S' 'Q' 'R' or 'M' shall be pre-

fixed against serial number of each deleted reason for deletion.)

(ii) Secondly, a hash (#) sign shall be prefixed before ser. the entry corrected to indicate that the entry has been co. the supplement but no correction actually should be carried the draft (mother) roll.

(iii) **Similarly, photographs of electors corrected in the supplement of corrections will not be added/changed/corrected in the reprinted mother roll.** Photograph of an already registered elector received/captured subsequently, or corrected or replaced should be listed in the 'correction' list and retained therein. Such photographs should not be inserted in the reprinted mother roll while reflecting all other corrections. Instead, in the reprinted mother roll, in the space provided for photograph, the words "Photo as in Correction List" in bold should be printed. These words should be stamped / imprinted over an existing photograph in case the existing photograph was wrong or needs to be changed due to any other reason.

On Sharing the Copies of Electoral Roll with Political Parties:

5. Two copies of the electoral roll – one printed copy and another soft copy in PS-CD ROM – shall be supplied to the recognised political parties, free of cost, immediately at the time of draft publication as well as the final publication. While the hard (printed) copy shall have the electors' photographs, the soft copy of the roll shall be supplied without images of the electors.
6. **Complete set of the full roll in force should be shared. It means rolls inclusive of the last part of the roll for an assembly constituency (Service Voters) as available at the time of final publication of other parts of the rolls.**
7. Whenever any Supplement of Continuous Updation is brought out for conduct of poll, copies thereof should be supplied, free of cost, to the recognised

be informed in writing to mark the deletions (and corrections) in the supplements by hand in the mother roll and previous supplements.

On Steps to ensure that Photo-Electoral Roll Supplied to Political Parties and the Copy Set Apart for Markings (For Use in Conduct of Poll) are Identical:

9. In an election year, there shall be one integrated draft roll; one supplement (of final publication); and another supplement of continuous updation upto the last date for making nominations appended to final publication.
10. The ERO shall supply one authenticated copy of the complete roll at each stage of publication alongwith PDF version thereof, to the DEO and the RO in a sealed cover, which shall be the reference copy in case of any dispute. The DEOs/ROs shall preserve the sealed copy of the electoral roll.
11. Besides, the ERO shall give a few more copies and a CD of the roll in printable form to the DEO/RO for making as many copies as may be necessary (for use in election).
12. It shall be the responsibility of the RO to reflect all the deletions and corrections, if any, appearing in the Supplements.
13. At supplement 1 stage (final publication) the roll is computer generated and all deletions/corrections are software generated. The RO shall share this computer generated roll with political parties. It shall be same, and therefore, identical to the final reprinted roll with supplement 1.
14. At the 2nd supplement stage, which is the last day of nomination, it would not be possible to generate a reprinted mother roll with all deletions struck-through and changes indicated in the reprinted mother roll. The deletions in 2nd supplementary therefore shall be marked by hand through a rubber stamp DELETED with 'E' 'S' 'R' 'Q' or 'M' written with red ink to indicate the reason.

15. Similarly, all corrections in supplement 2 shall be indicated by putting a (#) sign **by hand in red ink** on the entry(ies) corrected just after the name of the elector concerned. In case of corrections/addition of a photograph, the photo-box in the mother roll should be hand written in red ink with "Photo as in Correction List".
16. For authentication of the stamping/hand markings, the official entrusted to reflect the deletions/corrections of Supplements should put his/her signatures by the side of each and every relevant elector box without fail.
17. The Returning Officer shall maintain a register showing names and designations of officials authorised to mark the above stated deletions and corrections of Supplement No. 2. Not more than 2 officers should be authorized to do the work per AC.
18. The RO / ARO shall give a Certificate, as provided in the enclosed format, about the correctness of the copies of the roll. The certificate shall be signed in ink by the RO/ARO and attached on the top of the copy of the roll to be set apart for markings (like PB, EDC).
19. RO will supply one such complete copy of the electoral roll to the contesting candidates of every recognised political party in the State within 3 days after the last date of withdrawal of candidatures. They should be asked in writing to mark the deletions and corrections in Supplement No.2 by hand.

The above revised instructions shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance. This supercedes all previous instructions on the subject.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)
Under Secretary

Government of Rajasthan
(Election Department)

F.NO.3(2)(1) ROLL/ELEC/2003/2985 Jaipur, dated: 29.08.2008

Copy forwarded ~~and~~ for necessary action to.

1. All District Election Officers, (Collector) Raj.
2. All Electoral Registration Officer,

Jt. Chief Electoral Officer

This is to certify that the electoral roll of part No.....of..... Assembly Constituency contains total ___ numbers of pages (From 1 to ____). The deletions in the 2nd supplementary of the roll resulting from continuous updation after final publication of rolls have been indicated by putting a rubber stamp on the original entry in final rolls and corrections have been indicated by putting a "#" sign on the original entry by _____ (name & designation of the employee authorised to be indicated).

- A total of _____ number of entries have been deleted;
- A total of _____ number of entries have been corrected;

This is the authentic copy of the electoral roll and in case of any discrepancy, whatsoever, this electoral roll shall prevail.

Place:
Date :

Signature & Seal of
the Returning Officer/Asstt. Retuning Officer

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.22/2/2008/ERS/

Dated: 5th September, 2008.

To,

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories

आवती क्रमांक 2948
दिनांक 8/9

Subject: Integration, carrying out corrections, printing and sharing of photographs with political parties and contesting candidates.

Sir,

P216/C

In continuation of Commission's letter of even number dated 8th August, 2008, on the above subject, I am directed to say that a question has been raised as to what will be printed if the photograph in the mother roll at the time of draft publication was a mismatch and the correct photo is not available even at the time of printing of supplement.

Our existing instructions are based on the presumption that the correct photo would be available/captured before printing of the supplement-1 at the time of final publication. In respect of cases where the image printed in the draft roll is wrong and the correct photo is somehow not available/captured before final publication, in such cases the word **"Photo Deleted'** may be stamped/imprinted on the wrong photo in the mother roll and a # sign affixed to indicate the change in supplement. In the supplementary, against the space for image, there should be no image and words "Photo Deleted" should be inscribed.

This may be added as part of instructions at para 4(iii). Kindly acknowledge receipt.

JCEO
819

Dy CEO / AEO

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)
Under Secretary

By e-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 23/2012-ERS(Vol-III)

Dated: 27th August, 2012

To

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories
(Except Gujarat and Himachal Pradesh)

Sub: Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1st January, 2013 as the qualifying date – Schedule – Regarding

Sir/Madam,

The Commission has decided to take up the revision of electoral rolls with reference to 1st January, 2013 as the qualifying date. The revision shall be a Special Summary Revision in all States and Union Territories (except Gujarat and Himachal Pradesh) and shall be undertaken in accordance with ERO's Handbook 2008 plus any subsequent instructions of the Election Commission of India with regard to revision of electoral rolls/registration of voters.

2. The schedule of revision of Electoral Rolls for 2013 is as follows:

Schedule of Revision

Sl. No	Stages of Revision	Period allowed for Stage
1	2	3
1.	Draft Publication of Rolls	1st October, 2012 (Monday)
2.	Period for filing of claims and objections	1st October, 2012 (Monday) to 31st October, 2012 (Wednesday)
3.	Reading of relevant part/section of photo electoral rolls in Gram Sabha/Local Bodies and RWA meetings etc & verification of names	06th October, 2012 (Saturday) and 09th October, 2012 (Tuesday)
4.	Special Campaign dates with Booth Level Agents of political parties for receiving Claims and Objections	07th October, 2012 (Sunday), 14th October, 2012 (Sunday) and 21st October, 2012 (Sunday)
5.	Disposal of Claims and Objections	By 1st December, 2012 (Saturday)

6.	Updating the database, merging of photographs, updating the Control Tables and preparation and printing of supplementary list	From 1st December, 2012 (Saturday) to 31st December, 2012 (Monday)
7.	Final Publication of Electoral Rolls	05th January, 2013 (Saturday)

3. The Commission shall depute its observers to randomly check and supervise the Roll Revision process. All records should at all times be kept up to date and reports of progress as well as lists of the locations where field operations are in progress should be available with the officers concerned.

4. Adequate publicity and awareness drive shall be ensured by DEOs & CEO regarding the summary revision programme. All the DEOs and CEO shall get the revision schedule properly disseminated to media, political parties and social organizations and reach out to voters intensively before the due date of publication. For making the purpose of publication of draft rolls effective, series of events, multiple meetings with political parties at Taluk, district and state levels and press meets may be organized for widest possible dissemination. All DEOs and CEO shall separately call meetings of political parties and explain the schedule and seek cooperation expected of them before the date of draft publication. The draft publication should be done on the due date with fanfare and the copies of draft rolls should be handed over to political parties in public meeting in the presence of press, media and celebrities.

5. CEOs will take up with political parties to appoint/identify a Booth Level Agent (BLA) for each polling booth area who would be associated with the Special Campaign for Roll Revision process on 7th, 14th and 21st October, 2012 under the aegis of BLOs. On these Special Campaign dates, the BLO will go through the voter roll with BLAs of recognized political parties of State concerned and identity the corrections, etc.

6. The electors' information in prescribed Formats 1-8 (Annexure-A) related to final publication of the electoral roll due on 05.01.2013 shall be furnished by the Chief Electoral Officer along with his studied comments and explanatory memoranda to the Commission latest by 25th December, 2012.

7. The Chief Electoral Officers shall take prior written clearance of the Commission for final publication of the electoral rolls. A request to that effect shall be made to the Commission by the Chief Electoral Officer along with Formats 1-8 by 25th December,

2012, so that clearance may be conveyed at least seven days before the date of final publication.

8. It may be further noted that all communications and clarification relating to the Special Summary Revision, 2013 shall be addressed to the Pr. Secretary/Secretary in charge of the State/UT in the Commission who will be taking necessary orders of the Commission and communicating the same to the CEOs concerned. Pr. Secretary/Secretary in charge of respective states will be responsible for any slippage in the roll revision programme in their states. For the purpose, Secretaries will closely monitor the pre-revision activities and roll revision programme of their respective States/UTs to whom requisite report on development of revision program is to be sent by the CEO on regular interval.

9. In order to facilitate the stakeholders and bringing more transparency in the process of electoral registration, the Commission has decided that all application form received in Forms 6, 6A, 7, 8 and 8A should be computerized on a daily basis and List of these applications in the enclosed format (Annexure B) be posted on the website of the CEO on a day to day basis. The status of each application form should be clearly visible on each row of the list. Further, the web application used for this purpose should also provide a facility, that on clicking on any row in the list, the concerned application form can be printed by any citizen. A module for posting this information on CEO's website has been developed in ECI for those States which are using ECI ERMS. They can take this module form the ECI Office immediately. Those States which are using their own ERMS must immediately develop a similar module in their own ERMS.

10. (a) List of all claims and objections received should be put up on the website of CEO so that anybody including political parties and candidates are able to see this list and lodge objections with the concerned ERO. In addition to this –

i. Adequate publicity should be given by CEO to the fact that list of claims and objections is available on his/her website and objections can be raised before the EROs based on this list.
ii. CEO, all DEOs and all EROs should hold meetings with political parties and inform them about the publication of list of claims and objections on CEO's website and the latest instructions of the Commission about disposal of claims and objections.
iii. Political parties should be informed in writing by the CEO/DEO/ERO about publication of list of claims and objections on CEO's website.

iv. List of claims and objections should be made available by ERO to all political parties. The ERO should call a meeting of all political parties after the period of claims and objections is over and personally handover list of claims and objections to them and obtain acknowledgment.

b. **Decisions on Claims and Objections** - Decision on claims and objections should be taken only after all of the following has been done–

i. Decisions on claims and objections should be taken only after the period of filing of claims and objections is over.

ii. At least seven clear days period has passed after list of claims and objections has been published on all of the following –

(1) Website of CEO.

(2) Notice board of ERO

(3) Notice board of polling station

(4) A personal notice has been served on the person whose name is proposed to be deleted in cases other than death cases.

iii. At least seven clear days have passed after ERO has given the list of claims and objections to political parties.

iv. All deletions which are done for reason of death shall be made only after ascertaining the facts to the satisfaction of ERO.

c. **Verification of decisions on deletions –**

i. All deletions except those which are done for reason of death of the elector should be verified by an officer not below the rank of Tehsildar before final order is passed on Form 7.

ii. All cases of deletions must be cross verified by an officer senior to the ERO if they fall in any of the following categories: -

(1) Deletions in polling stations where the number of deletions exceed 2% of the total electors in the voters' list of the polling stations.

(2) Deletions where the same person is the objector in more than 5 cases.

iii. Cases of deletions except deletions by reason of death of the elector in which orders are passed by ERO, should be cross verified by supervisory officers in the following manner:-

(1) 2 % verification by Deputy DEO or equivalent officer.

(2) 1 % verification by DEO.

(3) 0.5 % verification by Roll Observer.

d. **Monitoring** - A weekly report in the enclosed format (Annexure C) shall be sent to the CEO through the DEO by every ERO. CEO shall compile the report and send it to the Commission with his/her comments.

11. The Commission will separately write to all recognized national and state level political parties informing them of the procedure outlined in paragraph 9 and 10 above. CEO should also write to the recognized national and state political parties in their own states giving this information.

12. Preparation of Elector Photo Identity Card (EPIC) for those getting enrolled on the basis of becoming 18+ for the first time may be done within period upto 10th January 2013 and be handed over to BLO/ERO/DEO etc. by 15th January 2013 for ceremonial distribution on 25th January 2013, the National Voters' Day.

13. The CEOs and all officers are further requested to extensively use the e-mail facility for prompt and accurate exchange of communication.

14. A copy of this letter should also be circulated to the DEOs/EROs in the State for taking immediate appropriate necessary action.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

sd/-

(Ashish Chakraborty)
SECRETARY

Standard Distribution

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 23/2012/ERS- Vol.III Dated: 6th November, 2012

To,

The Chief Electoral Officers
Of all States/UTs.

Subject: Disposal of Claims and Objections during the revision-regarding.

Ref: (1) The Commission's letter No. 23/2012/ERS-Vol.III, dated 27th August, 2012
(2) The Commission's letter No. 23/2011-ERS, dated 14th November 2011

Sir/ Madam,

In the Chief Electoral Officers meeting on 30th October, 2012, some CEOs had said that according to the current instructions of the Commission, disposal of claims and objections cannot be done till the period of filing claims and objections is over and that this is causing delay in the disposal of claims and objections. The Commission has considered this matter and has decided to modify the instructions contained in the above cited letter dated 27th August, 2012 with respect to the disposal of claims and objections as follows:-

"10(a) (iv) List of claims and objections should be made available by the ERO to all recognized political parties at the end of every week from the beginning of the period of filing claims and objections. The ERO should call a meeting of all recognized political parties and personally handover to their representatives a list of claims and objections received till that date and obtain acknowledgement of the same. The practice of giving list of claims and objection to the recognized political parties should continue till the period of claims and objections is over. It is further clarified that names included in the list once given, need not be included in the next list. In other words, the list should be incremental and not cumulative. This list should also simultaneously be displayed on website of CEO, notice board of ERO and polling station."

P To

2. Further, Para 10(b) of the aforesaid letter shall also be replaced by the following:-

"10.(b) Decision on claims and objections – Decision on claims and objections should be taken only after all of the following has been done-

i. At least seven clear days period has passed after list of claims and objections has been published on all of the following-

(1) Website of CEO

(2) Notice board of ERO

(3) Notice board of polling station

(4) A personal notice has been served on the person whose name is proposed to be deleted in cases other than death cases.

ii. At least seven clear days have passed after the ERO has given the list of claims and objections to the recognized Political Parties as mentioned above.

iii. All deletions which are done for reason of death shall be made only after ascertaining the facts to the satisfaction of ERO."

3. During the meeting of the CEOs on 30th October, 2012 another query was raised by some CEOs, as to whether names can be added and EPIC issued before the final publication of roll, during a summary revision. It was clarified during the meeting that continuous updation does not cease even during the period of summary revision. To obviate any confusion, it is further clarified that in case of all those applicants who had completed 18 yrs of age on the earlier qualifying date of existing roll under revision, the applications (Form 6, 6A,8 and 8A)may be considered by the concerned ERO as having been filed during the period of continuous updation (under section 22 and 23 of the R.P.Act,1950) if any applicant so requests by filing such application in duplicate as required by rule 26 of R.E. Rules, 1960, and the ERO can add , modify or transpose their names and can issue EPIC consequent to the changes in the roll without waiting for final publication. In case of Form 6 and 6A filed by the persons who will complete the age of 18 years on the new qualifying date with reference to which the current revision is going on, the ERO will consider these Forms as part of current summary revision and in such case EPIC can be issued only after final publication is made and the name is published in the supplement.

It is further clarified that separate supplement is not required to be published for the claims and objections treated as part of continuous updation, unless so directed by the Commission in any particular case. These should also be included in the supplement for the summary revision, in such a manner that all claims and objections received and approved by the Electoral Registration Officer subsequent to the Draft publication of rolls for summary revision are included in the supplement of that summary revision, whether they have been treated as part of continuous revision or summary revisions.

Yours Faithfully

(Narendra N. Butolia)
Secretary

BY SPEED POST / E-MAIL

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No.23/2012-ERS-Vol-III

Date: 6th October, 2012

To

The Chief Electoral Officer of All
States and Union Territories
(Except Gujarat and Himachal Pradesh)

Sub: Special Summary Revision of Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2013 as qualifying date – Regarding.

Sir/Madam,

The Commission has recently issued several instructions with regard to the revision of electoral rolls. For convenience and compliance by all the concerned, these instructions are reproduced below :

(1) Polling station wise pdf of the Draft Electoral Roll with all its existing supplements will be made available on the website of the CEO. The electoral roll of the entire Assembly Constituency will be published at the notice board of the ERO and electoral roll of the concerned part will be published on the notice board of the polling station.

(2) (i) Forms will not be received in bulk from any person except the authorized Booth Level Agent (BLA) of recognized Political Parties. In case of BLA, the total number of applications given by him/her to a Booth Level Officer should not exceed 10 in a day.

(ii) Booth Level Agents (BLAs) have been permitted to submit up to 10 applications/ forms per day. However, it is necessary to keep a watch, in case large number of applications are submitted by them. In case any BLA submits more than 30 applications forms during the entire period of Summary Revision, cross verification must be done by the ERO/AERO himself/herself.

(3) (i) If an application is presented in person, the applicant should be given acknowledgement after tearing off acknowledgement section attached with perforation below the application form.

(ii) If it is received by post acknowledgement of receipt of application should be sent by post/email/SMS (email/SMS, if e-mail ID/cell number is given in the application form).

(iii) Each application should be computerized as soon as it is received. Once application form is computerized, it should be visible on the website of the CEO as a polling station wise list of application forms with drill down to the actual application without photographs.

(4) All cases of additions/deletions must be cross verified by AERO or equivalent officer if they fall in any of the following categories:-

(a) Deletions in polling stations where the number of deletions exceed 2% of the total electors in the voters list of the polling stations.

(b) Deletions where the same person is the objector in more than 5 cases.

(c) Additions are more than 4%.

(5) All deletions for reason of death should be done on the basis of Death certificate issued by the Registrar of Births and Deaths or by local bodies, sarpanch, ward Member etc. or on the basis of Form 7 filled by some close relatives, friends, neighbors etc. or on the basis of statements of neighbours etc. recorded by the inquiry officer/BLO, about the death of the person.

2. The Electoral Roll Observers in your State may also be duly briefed about the Commission's above instructions.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SECRETARY

By E-MAIL/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.23/2013-ERS/Vol-III

Dated: 11th April, 2013.

To

The Chief Electoral Officers
Of all States/UTs.

Subject:- ***Precautions to be taken for deletion of the name of the electors from the electoral roll, - regarding.***

Sir/Madam,

The Commission has issued detailed instructions laying down the procedure to be followed by the Electoral Registration Officers for deletion of the names of electors from electoral rolls.

2. It has already been mentioned that proper enquiry should be made by E.R.O. before taking a decision to delete an existing entry from the rolls. However, complaints have often been received from various quarters that names of persons having EPICs are deleted from the electoral rolls with out affording them proper opportunity of hearing.

3. In the existing electoral system, deletion of names of electors can be done in the following situations:

(a) Death

(b) Shifted

(c) Missing

(d) Disqualification

(e) Repeated entry.

4. The Commission, in order to avoid wrongful deletions, has decided to issue the following instructions for compliance of EROs in future:-

i. In death cases, the ERO can delete the name of the elector on the basis of death certificates from the competent authorities/reports from BLOs/Form-7 from close relatives, friends, neighbors etc. and no further enquiry is required in such cases.

ii. In case of shifted electors where the new address of the elector is known (from Form 7 received), hearing should be conducted compulsorily. If the elector is residing in nearby area, hearing can be held directly by the concerned ERO who is deleting the name. In case the elector has shifted to some far-flung area from where he/she cannot come for attending the hearing, a recorded statement of the elector through the ERO of the concerned area can be obtained, and further necessary action taken on the basis of the same. If the previous address is known from Form 6, his name from previous address should be deleted only when his name is enrolled at his new address on the basis of his Form 6.

iii. If the new address of a shifted elector is not known, notice of the hearing can be published in a local daily and a notice can be pasted on the last known address of the elector in the presence of at least two witnesses. The same procedure can be adopted in case of missing electors.

iv. In disqualification cases with regard to underaged persons, the ERO should hold enquiry and the person be asked to give documentary proof/evidence to the satisfaction of the ERO. If the person fails to give requisite proof of his age his/her name should be deleted.

v. In disqualification cases relating to Section 16 of R.P.Act, 1950, the ERO can delete the name of concerned person forthwith as soon as the order is passed to this effect by the competent court/authority.

vi. In case of repeated entries, the verification must be done and name of the elector should be retained only at one place where he/she is found to be ordinarily residing and deleted from the other location. An intimation to this effect be sent to him/her . Form-7 should be taken from the concerned elector.

vii. In those cases where the cell phone number or email ID of the elector is known (is available in the database) an SMS or email or both should be sent to him informing him that the ERO intends to delete the name and also informing him of the date of hearing.

5. All the existing instructions of the Commission regarding putting polling station-wise application forms and intended suo-motu deletion cases with current status on CEOs website shall be followed strictly.

6. All the officers concerned may be informed accordingly.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SECRETARY

Government. of Rajasthan
(Election Department)

No. F 3(1)(2)Rolls/Elec./2005/ 1335 **Jaipur, Dated** 25.4.13

Copy forwarded for information & necessary action to -

1. **All District Election Officers (Collector) Rajasthan.**
2. **All Electoral Registration Officers Rajasthan.**

Yours faithfully

(P.C Gupta)
Jt. Chief Electoral Officer
Rajasthan, Jaipur

ECI Email

J. CEO
21/9/12

By E-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.23/ 2012-ERS(Vol.III) Dated: 20th September, 2012

To,

105/CEO
21-9-12

The Chief Electoral Officers of
All States/UTs(Except Gujarat and Himachal Pradesh)

Sub: Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1st January 2013 as the qualifying date-deletion of names due to reason of death-clarification-regarding.

Sir,

P 173/c

I am directed to refer to para 10(b)(iv) of the Commission's letter of even number dated 27th August 2012, on the subject cited, and to state that the Commission, in partial modification, has decided to allow deletions due to reason of death by the Electoral Registration Officer, if any one of the following conditions is met:-

(i) Death Certificate issued by the Registrar of Births and Deaths is available,

(ii) Death Certificate issued by local bodies, Sarpanch, ward Member. etc., is available,

(iii) Form 7 from some close relative, friends, neighbours etc. is available,

(iv) Statements of neighbours are taken about the death of the person by the inquiry officer/BLO.

This may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(Narendra N. Butolia)
Secretary

STANDARD DISTRIBUTION

Govt. of Rajasthan
(Election Department)
F3(3)(1) Roll/elec/2012/3543 Jaipur, dated 27 Sept 2012
Copy forwarded to all Districts Election Officers (Collector) for information and necessary action.

सहायक मु... ... अधिकारी
राजस्थान, जयपुर